न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 07/2017

बउनवान

घनश्याम कुम्हार आयु 46 साल पुत्र श्री अमरलाल जाति–कुम्हार, पेशा पूर्व उचित मूल्य दूकानदार, किशनपुरा अटेच रीछन्दा तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र पंचौली, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 04.02.2019

1– अपीलांट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 11.09.2014 से असंतुष्ट होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा अपीलांट की अटैचमेंट दूकान रीछन्दा तहसील अटरू के 49.40 क्विंटल गेहूँ की कालाबाजारी किये जाने के आरोप में प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार धारा, 8(1) के स्पष्ट प्रावधान है कि बिना सुनवाई के अवसर दिये 90 दिन के लिये उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.09.2014 से आज तक भी अपीलांट को ना तो कोई नोटिस दिया एवं ना हीं किसी प्रकार की चार्जशीट आरोप पत्र जारी किया जिससे स्वतः वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्राधिकार पत्र बहाल होने योग्य है। अपीलांट ने इस संबंध में दिनांक 01.03.2017 को जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में निवेदन किया तो कार्यालय में बताया गया कि आपके विरूद्व न तो कोई अभी तक कार्यवाहीं हुई है और ना हीं आपका प्राधिकार पत्र निरस्त हुआ है। मैने निलंबन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर श्रीमान के यहां अपील पेश की है। अपीलांट के विरूद्व अभी तक विभागीय स्तर पर कोई कार्यवाहीं लंबित नहीं है। अतः अपीलांट के उचित मूल्य दूकान किशनपुरा तह. अटरू का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना विधिसंगत एवं न्यायोचित होने से अपील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपीलांट स्वीकार की जाकर, अपीलांट का उचित मूल्य दूकानदार किशनपुरा का लाईसेंस बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

3— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम किशनुपरा तहसील बारां का उचित मूल्य दूकानदार है। अपीलांट को रसद विभाग द्वारा डीलर भोजराज नागर उचित मूल्य दूकानदार रीछन्दा का प्राधिकार पत्र निलंबित होने पर दिनांक 16.07.2014 को अटेचमेंट किया गया था। अपीलांट ने अटेच दूकान का चार्ज लेते कि दिनांक 10.09.2014 को जिस अनुज्ञापत्रधारी की दुकान का उसे अटेच दिया था उसने षडियंत्र रचकर, गलत तथ्य पुलिस के समक्ष पेश कर, अपीलांट के गेहूँ का जप्त करा दिया था। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि ग्राम रीछन्दा का दुकान मालिक दुकान
को बार–बार खाली करने हेतु जिद कर रहा था। इसलिये उक्त वितरण योग्य गेहूँ
को ग्राम रीछन्दा से वितरण हेतु किशनपुरा ले जा रहा था। स्टॉक व वितरण रजिस्टर
में कोई अनियमितताऐं नहीं है, रजिस्टर पूर्ण है। इस प्रकार अपीलांट ने कोई
अनियमितता नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस रिपोर्ट के आधार पर
अपीलांट का दिनांक 11.09.2014 को प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। इसके
बाद उसके विरूद्व ना तो कोई नोटिस जारी किया गया। ना हीं सुनवाई हेतु कोई
ताकीद की गयी। अपील[illegible]ार–बार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के
बावजूद ना तो [illegible] जवाब किया गया ना हीं उसकी राशन सप्लाई
चालू की गयी।

4— अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।
किन्तु ना तो उसे [illegible] गया ना हीं कोई सुनवाई की गयी। जबकि
राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 की
धारा, 8(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी डीलर का लाईसेंस 90 दिन से अधिक
समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। 90 दिन में हीं अनुसंधान अधिकारी को
जॉच पूर्ण कर, [illegible] करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के
प्रावधानों की अ[illegible] माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर ने भी
एस.बी.सिविल [illegible] को संयाजित कर दिनांक 24 फरवरी,2014
को इस संबंध [illegible] किये गये है, जो इस प्रकरण को होल्ड
करते है। साथ हीं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कराते हुये व्यक्त
किया कि अधी[illegible] जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण
संख्या 82/2014 में निलंबन के पश्चात् उसके विरूद्व कोई आरोप पत्र तैयार कर,
कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त कृत्य
न्यायिक प्रावधानों के विपरीत है। चूकि वर्तमान में उसके विरूद्ध जेरकार धारा, 6(ए)
के प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। रसद विभाग में भी उसके विरूद्ध निलंबन के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

पश्चात् कोई कार्यवाहीं लंबित नहीं है। अपीलांट गरीब व्यक्ति है, उसके डीलरशीप के अतिरिक्त आय का कोई साधन नहीं है। न्यायाहित में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर, पुनः राशन सप्लाई दिलायी जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट को ग्राम रीछन्दा की दूकान का अटेचमेंट दिया गया था। अपीलांट ग्राम रीछन्दा के उपभोक्ताओं को वितरण योग्य गेहूँ को मेटाडोर में भरकर बेचने के जे जाने पर, मौके पर पुलिस द्वारा पहुँचकर, उक्त गेहूँ व वाहन को जप्त किया है। तत्पश्चात् डीलर के विरूद्व उक्त अनियमितता करने पर दिनांक 11.09.2014 को प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। डीलर के विरूद्व जप्तशुदा गेहूँ 49.40 क्विंटल के संबंध में धारा, 6(ए) का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसमें दिनांक 22.4.2015 को निर्णय पारित होने से जप्तशुदा गेहूँ को राजसात किया जा चुका है। डीलर द्वारा गम्भीर अनियमितता किया जाना प्रमाणित है। सहवन से निलंबन पश्चात् कोई कार्यवाहीं नहीं हो सकी है। डीलर के विरूद्व आरोप प्रमाणित है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 11.09.2014 को निलंबित करने के उपरान्त कोई नोटिस एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। जबकि डीलर के विरूद्व विचाराधीन जॉच को 90 दिन में पूर्ण कर, अंतिम आदेश पारित करना होता है। इसी प्रकार पेरोकार सरकार का तर्क रहा है कि डीलर द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी है, इसी आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट डीलर ग्राम किशनपुरा को अ[illegible] राशन गेहूँ 49.40 क्विंटल को मेटाडोर में भरकर बेचान [illegible] को जप्त कर, डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 11.09.2014 को निलंबित किया गया है तथा विभागीय जॉच प्रस्तावित की गयी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि जिला रसद अधिकारी, [illegible] का प्राधिकार पत्र निलंबित करने के उपरान्त डीलर के विरूद्व कोई आरोप तय नहीं कर, कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किये गये है। ना हीं इस प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई एवं जवाबदेहीं हेतु तलब किया गया है। अभी भी [illegible] स्तर पर विचाराधीन है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को डीलर [illegible] निलंबित करने के उपरान्त निर्धारित समयावधि में हीं विधिवत सुनवाई [illegible] आदेश पारित करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण [illegible] विलम्ब किया गया है। इसी के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। चूकि वर्तमान में धारा, 6(ए) के प्रकरण का दिनांक 22.04.2015 को निस्तारण हो गया है तथा वर्तमान में रसद विभाग द्वारा कोई आरोप तय नहीं किये गये है ना हीं अपीलांट को सुनवाई कर, कोई आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित समझते है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय, जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा पारित प्राधिकार पत्र निलंबन आदेश दिनांक 11.09.2014 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या बहाल किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2015 को मेरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official